हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

वीरवार, 19 मार्च, 2015/28 फाल्गुन, 1936(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

   (1) तारांकित :

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) अतारांकित :

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषदों में सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए-(1)11/2010-ए0ई0 दिनांक 23.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **91वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 269वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **92वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 259वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उच्चत्तर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **नवम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **उद्योग विभाग** की खनन नीति की संवीक्षा पर आधारित है।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **11वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12) (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री रवि ठाकुर
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर }

"जिला लाहौल-स्पिति के मूलिंग में हाल ही में निर्मित पुल के ध्वस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004
दिनांक: 18 मार्च, 2015

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

अष्टम् सत्र

वीरवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प की सूचीः

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	डॉ0 राजीव बिन्दल :	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में सड़कों के निर्माण के दौरान बिजली, पानी, फोन आदि की लाईनें डालने हेतु प्रत्येक सड़क में सर्विस लेन/सर्विस टनल का प्रावधान सैद्धान्तिक रूप से अनिवार्य करने का प्रावधान करें ।"

सचिव,
विधान सभा।

******